न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(श्री राकेश कुमार, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :— 04/2019 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :— 03—04—2019
निर्णय दिनांक :— 22—07—2019

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

——प्रार्थी

बनाम

श्री राजमल पिता नन्दराम यादव निवासी कुरज थाना कुंवारिया तहसील कुवांरिया जिला राजसमन्द

——अप्रार्थी,गे0सा0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :—

1. सहायक लोक अभियोजक

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांकःएफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01—03—2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे0सा0 के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। गेरसायल/अप्रार्थी के विरूद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना कुवारियां में दर्ज हुई है :—

क्र.स.	प्र0सं0	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	98/2016	19/54 आबकारी अधिनियम	70/29.06.2016	सजा 11.11.2016
2	135/2016	19/54 आबकारी अधिनियम	105/30.09.2016	सजा 11.11.2016

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल को दिनांक 15.04.2019 को जारी सम्मन दिनांक 20.04.2019 को बाद तामील प्राप्त हुआ । गैर सायल को बार —बार दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद अनुपस्थित रहा। गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई ।

सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल के विरूद्ध 19/54 आबकारी अधिनियम के दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा हुई है। इस कारण गैर सायल धारा 2 (बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावें ।

पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के अतर्गत कोई व्यक्ति गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 02 प्रकरणों में दोष सिद्व किया जाता है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । गैर सालय को 02 प्रकरणों में धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में

संलग्न है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्व कर दण्डित किया गया है । पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं । गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है । गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा । जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके । गैर सायल के विरूद्ध प्रथमदृष्टया गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री राजमल पिता नन्दराम यादव निवासी कुरज थाना कुंवारिया तहसील कुवांरिया जिला राजसमन्द के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें **दस दिन** के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के **दस दिन** तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक तीन दिवस को पुलिस स्टेशन मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा । यह आदेश गैर सायल की पुलिस स्टेशन, मावली में प्रथम उपस्थित तिथि से लागु होगा । गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 22—07—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द